न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 13 / 2025	2025 / 92	10.02.2025	03.07.2025

1– श्रीमति बाला पुत्री स्व० शेरसिंह पुत्र रूपराम धर्मपत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी देवता तहसील किशनगढ़बास हाल आबाद शाहपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

2– श्रीमति कमलेश पुत्री स्व० शेरसिंह पुत्र रूपराम धर्मपत्नि नरेश जाति जाट निवासी देवता तहसील किशनगढ़बास हाल आबाद शाहपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

3– श्रीमति रेखा पुत्री स्व० शेरसिंह पुत्र रूपराम धर्मपत्नि जालिम सिंह जाति जाट निवासी देवता तहसील किशनगढ़बास हाल आबाद शाहपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

4– श्रीमति सन्तोष पुत्री स्व० शेरसिंह पुत्र रूपराम धर्मपत्नि राजेश जाति जाट निवासी देवता तहसील किशनगढ़बास हाल आबाद शाहपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।

5– सत्यपाल पुत्र स्व० शेरसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी देवता तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर (राजस्थान)

– अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार, किशनगढ़बास जिला अलवर (राजस्थान)

2– गजेन्द्र पुत्र स्व० शेरसिंह जाति जाट निवासी देवता तह० किशनगढ़बास जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनांक 19 / 06 / 1992 बाबत नामान्तकरण संख्या 820 वाके ग्राम देवता विरासत मृतक शेरसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी बम्बोरा जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर मंजूर किया गया को निरस्त किये जाने हेतु

उपस्थित–
01. श्री अजय कृष्ण व्यास –वकील अपीलान्ट
01. –––अनुपस्थित––– –वकील रेस्पोडेन्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 820 निर्णय 19.06.1992 वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा जिसके द्वारा विरासत मृतक शेरसिंह विधि विरूद्व दर्ज किया जाकर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि मिन अपीलान्टान के पिता शेरसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढ़बास के निवासी थे, जिनकी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढ़बास मे आराजी खसरा सं० 534 रकबा 0,7000 है०, जिसमें से 1/3 हिस्सा, 521 रकबा 1.0500 है0 में से 1/12 हिस्सा, 387 रकबा 0.30000, 389 रकबा 0.3900 है०, 390 रकबा 0.4400 है0, 381 रकबा 0.4500 है०, 521/820 रकबा 0.2000 है०, कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 1.7800 है० जिसमे 1/3 हिस्सा एवं आराजी खसरा सं० 388 रकबा 0.2800 है0, 393 रकबा 0.4800 है०, 533 रकबा 0.2500 है०. कुल किता 3 कुल रकबा 1.0100 है0 में से 1/3 हिस्सा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। मृतक शेरसिंह जिस दिन फोत हुआ उसके निम्न जायज वो वारिसान मौजूद थे। जो आज दिन भी जीवित है। शेरसिंह (मृतक) सरबती (पत्नी) मृतक, गजेन्द्र (पुत्र) रेस्पोडेन्ट संख्या 2, सत्यपाल (पुत्र) अपीलान्ट संख्या 5, बाला (पुत्री) अपीलान्ट संख्या 1, कमलेश (पुत्री) अपीलान्ट संख्या 2, रेखा (पुत्री) अपीलान्ट संख्या 3, सन्तोष (पुत्री) अपीलान्ट संख्या 4 अपीलान्टान व रेस्पो० सं० 2 की माता सरबती देवी के दिनांक 23/10/2015 को फोत होने व उसके विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही करने के लिये अपीलान्टान ने दिनांक 23/05/2017 को हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो सर्व प्रथम जानकारी में आया कि नामान्तकरण सं० 820 विरासत शेरसिंह खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हुआ है, जिसके अस्तित्व में रहने से अपीलान्टान अपने जायज वो विधिक अधिकारों से वंचित किये गये है। मृतक शेरसिंह की विरासत का वाक्या तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तकरण रजिस्टर कॉलम नं0 14 में कतई गलत दर्ज किया, जबकि तत्कालीन हल्का पटवारी मांचा की जानकारी में यह भी तथ्य मौजूद था कि मृतक शेरसिंह के चार पुत्रीयां क्रमशः श्रीमति बाला, कमलेश, रेखा, सन्तोष मौजूद है, लेकिन उसके द्वारा इन्तकाल में वाक्या दर्ज करते समय पुत्रीयो का नाम दर्ज नहीं किया गया तथा हल्का पटवारी ने अपने प्रक्रिया कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया। इतना ही नहीं अपितु तत्कालीन कानूनगो द्वारा जिस तारीख हल्का पटवारी ने वाक्या दर्ज किया उसी तारीख 17/06/1992 को कानूनगो (आई. एल. आर) द्वारा वारिसान की जांच के सम्बन्ध में मिथ्या जांच का अंकन किया, और अपनी जॉच में शेरसिंह के कोई लडकी नहीं होना दर्ज किया, जबकि मृतक शेरसिंह के चारों पुत्रीयां उस वक्त मौजूद थी, और आज भी मौजूद है। ऐसी सूरत में कानूनगों द्वारा अपने विधिक कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर गलत रिर्पोट पेश की ऐसी सूरत में उक्त नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार करने की आज्ञा हर सूरत में काबिल खारिज है। मृतक शेरसिंह की विरासत का नामन्तकरण रजिस्टर में विरासत वाक्या व जब दोनों ही फेब्रिकेटेड फाल्स व रोंग दर्ज की गई, इस सम्बन्ध में तत्कालीन तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई, और तीन दिवस के अन्दर– अन्दर रेस्पोडेन्ट ने साज–बाज होकर हम अपीलान्टान को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से वाक्या विरासत मृतक शेरसिंह कतई गलत दर्ज कर दिया, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल खारिज है, और अपील अपीलान्टान काबिले स्वीकार है। प्रश्नगत नामान्तकरण में दर्ज आराजी मृतक शेरसिंह द्वारा खरीदशुदा आराजी है, जिसमे उसकी पुत्रीयो व पुत्रो का समान जायज व विधिक अधिकार है, किन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी, कानूनगो, व तहसीलदार द्वारा कतई गत तथ्यों वो विधि के विपरीत नामान्तकरण स्वीकार करने की आज्ञा पारित की गई है, जो आज्ञा हर सूरत में काबिल खारिज है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय दिनाक 19.06.1992 बाबत नामान्तकरण संख्या 820 ग्राम देवता की सर्व प्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनांक 23/05/2017 को ग्राम बम्बोरा में आने व राजस्व कैम्प चलने पर राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी व गांव के मौजिजा लोगों व परिवार के सदस्यों से हुई, जिस पर दिनांक 24/05/2017 को नामान्तकरण की नकल के लिये अपने भाई सत्यपाल से प्रार्थनापत्र पेश कराया और नामान्तकरण की नकल दिनांक 24/05/2017 को प्राप्त की, तहसीलदार द्वारा पारित आज्ञा नामान्तकरण संख्या 820 अनलीगल (गैर कानुनी) होने के कारण यद्यपि कोई मियाद का प्रश्न नहीं उठता है। सर्व–प्रथम जानकारी नकल प्राप्त करने व अनलीगल आदेश होने की तारीखों से अपील हाजा साधारणतयाः अन्दर मियाद पेश है। इन सब के बावजूद भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश है। लिहाजा दिनांक 19/06/1992 से 24/05/2017 का समय कन्डोन किया जाकर अपील हाजा को साधारणतयाः अन्दर मियाद तस्सवुर फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुऐ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि रेस्पो० सं० 2 की माता सरबती देवी के दिनांक

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

23/10/2015 को फोत होने व उसके विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही करने के लिये अपीलान्टान ने दिनांक 23/05/2017 को हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो सर्व प्रथम जानकारी में आया कि नामान्तकरण सं० 820 विरासत शेरसिंह खिलाफ मौका व खिलाफ कानून पारित किया गया है। अपीलान्टान द्वारा पेश की गयी अपील में कही भी स्पष्ट नही किया गया है, कि अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास किस दिनाक को हुआ इस बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्टान को पूर्व में नही थी। जबकि अपीलान्टान अपने मृतक पिता के घर में संसारिक/परिवारिक कार्यक्रम/रिति–रिवाज के अनुसार पुत्रीयो का प्रत्येक खुशी गम में आना जाना लगा रहता है, इससे स्पष्ट है, कि अपीलान्टान का अपने पिहर में सदैव से आना जाना रहा है, क्योकि अपीलान्टान ने यह कही भी दर्ज नही है कि वो अपने पिता की मृत्यू के बाद अपने पिहर/रेस्पोडेन्ट के धर में आना जाना नही रहा है। और जब अपने पिता /रेस्पोडेन्ट के घर में सदैव आना जाना रहा है, तो नामान्तकरण संख्या 820 निर्णय दिनाक 19.06.1992 के बारे में जानकारी रेस्पोडेन्ट के नाम पिता की विरासत दर्ज होने के बारे में जानकारी न होना अंसभव है अपीलान्ट की इस दलील से सहमत नही की तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.06.2.1992 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को सदैव से रही है, बावजूद सूचना के अपीलान्ट द्वारा यह अपील जानबुझ कर करीब 15 वर्ष 6 माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में दिन–प्रतिदिन का ब्यौरा पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस वैधानिक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया है, जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वाश किये जाने योग्य नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, तहसीलदारा किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.06.1992 नामान्तकरण संख्या 820 वाके ग्राम देवता तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा– रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)